

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट—मेजा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—249/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्रीमति सुखी देवी पत्नि जमनालाल धोवी, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—वादिया

बनाम

1—श्री लादूलाल पिता होकमा रेगर, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल

2—श्री रामलाल पिता होकमा रेगर, उम्र बालिग निवासी मांडल तहसील मांडल जिला
भीलवाड़ा (राजस्थान)

3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान)

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री — एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या
1 से 2 की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज
दिनांक 1.6.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों
प्रतिशत रूप्यों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष
की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का
वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के
इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादीगण एवं
प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया
जाता है। उसी अनुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व
रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1—श्रीमति सुखी देवी पत्नि जमनालाल धोवी, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादिया के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में
दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
235/1	1 बीघा	10 बिस्वा
240/1	1 बीघा	10 बिस्वा


उपखण्ड अधिकारी
मांडल

कुल कित्ता 2	रकबा	3 बीघा	-	लगान	-
--------------	------	--------	---	------	---

2-श्री लादूलाल पिता होकमा रेगर, उम्र बालिग, 63/129 हिस्सा, श्री रामलाल पिता होकमा रेगर, उम्र बालिग 66/129 हिस्सा निवासीयान मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नं.	रकबा	लगान
234	-	17 बिस्वा
235	-	07 बिस्वा
240	-	09 बिस्वा
241	1 बीघा	02 बिस्वा
242	3 बीघा	14 बिस्वा

कुल कित्ता 5	रकबा	6 बीघा	09 बिस्वा	लगान	-
--------------	------	--------	-----------	------	---

उक्तानुसार भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।



(सी.एल.शर्मा)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी,

मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 1.6.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,

मांडल जिला भीलवाड़ा